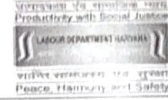




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
LABOUR DEPARTMENT HARYANA

श्रम विभाग, हरियाणा
O/o Labour Commissioner, Haryana, 1st Floor, 30 Days Building, Sector-17-B, Chandigarh
Email:- hrylabour@gmail.com, labourcommissioner@hry.nic.in
Tele:- 0172-2701373, 0172-2701266



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठाता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त निदेशक, औ० सु० एंव स्वा०, मुख्यालय।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (NCR) गुरुग्राम।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
5. सभी संयुक्त निदेशक, औ० सु० एंव स्वा०, मुख्यालय।
6. संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
7. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
9. सभी उप निदेशक, औ० सु० एंव स्वा०, हरियाणा राज्य।
10. सभी उप निदेशक, औ० स्वा०, हरियाणा राज्य।
11. सभी सहायक निदेशक, औ० सु० एंव स्वा०, हरियाणा राज्य।
12. सभी सहायक निदेशक, औ० सु० एंव स्वा० (कैमिकल), हरियाणा राज्य।
13. सभी सहायक निदेशक, औ० स्वा०-कम-सटि० सर्जन, हरियाणा राज्य।
14. कल्याण अधिकारी (म०) पानीपत व फरीदाबाद।
15. लेखा अधिकारी, मुख्यालय।
16. सभी उप अधीक्षक, मुख्यालय।

क्रमांक: स्था०/03/2026/ 19884-996 दिनांक: 24/08/26

विषय:

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विष्योक्त मामले में सादर सूचित किया जाता है कि हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 27.08.2026 को सुबह 11.00 बजे शुरू होना है। अतः आपसे अनुरोध है कि विधान सभा अधिवेशन के दौरान सभी अपने मुख्यालय पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्यालय में दूरभाष पर किसी जिम्मेवार कर्मचारी को दिनांक 27.08.2026 से सत्र की समाप्ति तक रात्रि 8.00 बजे तक ड्यूटी लगायें तथा इस बारे में मुख्यालय को भी सूचित करें। सभी अधिकारीगण से अनुरोध है कि वे भी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके बारे में अपने स्तर पर सूचित करते हुये अनुपालना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया जाता है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का सत्र समाप्ति तक अवकाश स्वीकृत न किया जाये और न ही स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजा जाये। यह आपको सूचनार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृते:  श्रम आयुक्त, हरियाणा।